राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3954/2023

1. हनुमान सिंह पुत्र श्री कुंभ सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी भाटी की ढाणी, ननेऊ, तहसील जोधपुर, जिला जोधपुर, राजस्थान।

2. विनोद सिंह शेखावत पुत्र श्री बीरबल सिंह शेखावत, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी 627 सल्लाजी की ढाणी, गांव व पोस्ट राजनोटा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, राजस्थान।

3. चतर सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम देधान चक 3,पोस्ट हापा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर, राजस्थान।

4. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मिशा राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम बलगी नगर, पोस्ट उबासी, तहसील जायल, जिला नागौर, राजस्थान।

5. रविन्द्र पुत्र श्री मामराज, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी गांव केशरीपुरा, पोस्ट बड़ागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू, राजस्थान।

6. सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री शेर सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी कांकरा पोस्ट बड़ौद, तहसील बहरोड़, जिला अलवर, राजस्थान।

7. संजय कुमार पुत्र श्री सतबीर सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी मकान नं 18, रिद्धि सिद्धि नगर वी, बड़ा राम गोविंदपुरा, कलवार रोड, जोतवाड़ा, जयपुर , जिला जयपुर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय के माध्यम से , राजस्थान, जयपुर।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।

4. राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुर, जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

<u>से संबंधित</u>

डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3300/2023

1. अनोप सिंह भाटी पुत्र श्री गंगा सिंह भाटी, उम्र लगभग 45 वर्ष, सामराऊ, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर, राजस्थान।

2. छैल सिंह राठौड़ पुत्र श्री जबर सिंह राठौड़, उम्र लगभग 40 वर्ष, ग्राम वीपीओ बेतवासिया, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर, राजस्थान।

3. महिपाल सिंह पुत्र श्री दलपत सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, वीर दुर्गादास नगर, भाखरी, पोस्ट ढेलाणा, जिला जोधपुर, राजस्थान।

4. रामकरण पिचकिया पुत्र श्री गोपा राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, खांगटा पिचकियॉ का बास, खांगटा जिला जोधपुर, राजस्थान।

5. सुमुन्दर सिंह राठौड़ पुत्र श्री भंवर सिंह राठौड़, उम्र लगभग 42 वर्ष, नि.सं. 17 ख नं. 52 प्रेम नगर दिगारी कल्लन, जिला जोधपुर, राजस्थान।

6. मूल सिंह पुत्र श्री जसवन्त किशोर सिंह, उम्र लगभग 41 वर्ष, ग्राम अभय गढ़, सेतरावा, तहसील देचू, जिला जोधपुर, राजस्थान।

7. रामप्रकाश पुत्र श्री कोजा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, लाम्बा, जिला जोधपुर। वर्तमान में पी.एन.ओ. 21 श्रीराम नगर, आदित्य पब्लिक स्कूल के पास, झालामंड चोराया, जिला जोधपुर, राजस्थान।

8. भेरू सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, उम्र लगभग 46 वर्ष, ग्राम सोढो की ढाणी, दलपत नगर, खिरजा खास, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर, राजस्थान।

9. आम सिंह भाटी पुत्र श्री डूंगर सिंह, उम्र लगभग 34 वर्ष, गैस गोदाम के पास धोलाबाला, फलोदी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, राजस्थान।

10. शंभू सिंह पुत्र श्री डूंगर सिंह, उम्र लगभग 39 वर्ष, वीपीओ डेरिया तहसील बालेसर, जिला जोधपुर, राजस्थान।

11. बगता राम जाट पुत्र श्री रूपा राम जाट, उम्र लगभग 45 वर्ष, नारायणपुरा, तहसील बाप, जिला जोधपुर, राजस्थान।

12. नानक राम जाणी पुत्र श्री मोहन राम, उम्र लगभग 39 वर्ष, जाणियों की ढाणी, थोब, जिला जोधपुर, राजस्थान।

13. सुभाष चंद्र पुत्र श्री सुल्तान सिंह, आयु लगभग 36 वर्ष, ढाणी जोधावाली, पोस्ट होद, तहसील खंडेला, जिला सीकर, राजस्थान।

14. इंद्र सिंह भाटी पुत्र श्री बुध सिंह भाटी, आयु लगभग 46 वर्ष, वीपीओ सोलंकिया तला, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।

4. राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, राजस्थान कृषि प्रबंधन

संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान का परिसर।

---प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3757/2023

1. नारायण सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, ग्राम इशरू, तहसील बापिनी, जिला जोधपुर, राजस्थान।

2. भंवर लाल पुत्र श्री पंचा राम, उम्र लगभग 43 वर्ष, ग्राम केलनसर, तहसील घंटियाली, जिला जोधपुर, राजस्थान।

3. गोपाल सिंह पुत्र श्री चेन सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, दरोगा का बास, रासलियावास, तहसील रियां बड़ी, जिला नागौर, राजस्थान।

4. श्रवण सिंह पुत्र श्री अभय सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, ग्राम कागल, पोस्ट भुंडाना, तहसील पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर, राजस्थान।

5. केसा राम पुत्र श्री माला राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, ग्राम बावरी, पोस्ट सेखाला तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर, राजस्थान।

6. राजू सिंह खीची पुत्र श्री राम सिंह, उम्र लगभग 49 वर्ष, ग्राम असरानाडा (सलवान कल्लन), पोस्ट जलेली नायला, तहसील जोधपुर, जिला जोधपुर, राजस्थान।

7. इदाणा राम पुत्र श्री प्रभु राम, उम्र लगभग 47 वर्ष, ग्राम डूडोली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान।

8. कोजा राम पुत्र श्री किस्तूर राम जाट, उम्र लगभग 39 वर्ष, गांव व पोस्ट सुरपुरा खुर्द, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर, राजस्थान।

9. पप्पू सिंह पुत्र श्री राम सिंह, उम्र लगभग 42 वर्ष, ग्राम सालवा कल्लन (आसरानाडा), पोस्ट सालवा कल्लन, तहसील जोधपुर, जिला जोधपुर, राजस्थान।

10. प्रदीप चौधरी पुत्र श्री ढगला राम भालिया, उम्र लगभग 36 वर्ष, गांव व पोस्ट बोयाल, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर, राजस्थान।

11. राम प्रकाश बेंदा पुत्र श्री राम बक्स, उम्र लगभग 46 वर्ष, वीपीओ रतकुरिया, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर, राजस्थान।

12. रामजीवन दीदार पुत्र श्री पूसा राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, 81/116, लक्ष्मण नगर ए, ज्यूपिटर स्कूल के पास, रामजन हट्टा, बनार रोड, जोधपुर, जिला जोधपुर, राजस्थान।

13. चतुर सिंह पुत्र श्री माधो राम, उम्र लगभग 47 वर्ष, प्लॉट नंबर 23/90, लक्ष्मण नगर ए, रामजन हट्टा, बनाड़ रोड, नांदरी, जोधपुर, जिला जोधपुर, राजस्थान।

14. राम निवास पुत्र श्री मोहन राम, उम्र लगभग 44 वर्ष, ग्राम मलार, तहसील पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर, राजस्थान।

15. मनोहर लाल पुत्र श्री सुगना राम, उम्र लगभग 46 वर्ष, ग्राम लावरी, पोस्ट सियारा, तहसील पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर, राजस्थान।

16. राजू राम रलिया पुत्र श्री केसा राम, उम्र लगभग 36 वर्ष, ग्राम लावरी, पोस्ट सियारा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर, राजस्थान।

17. भल्लाराम पुत्र श्री देवाराम, उम्र लगभग 45 वर्ष, ग्राम जवासिया, पोस्ट रियां सेठकी, तहसील पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर, राजस्थान।

18. हरकेश सिंह पुत्र श्री राजेंद्र सिंह, उम्र लगभग 42 वर्ष, वीपीओ बनेठी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, राजस्थान।

19. सज्जन सिंह पुत्र श्री जबर सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, वीपीओ रामासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान।

20. प्रेम सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, वीपीओ खीरी सालवा, तहसील पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।

4. राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुर, जयपुर, राजस्थान।

---प्रतिवादी

डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4698/2023

1. सरदूल सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह, उम्र लगभग 42 वर्ष, वार्ड नंबर 11, 1 एमडी, मेहरवाला, तहसी टिब्बी, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

2. कृष्ण कुमार यादव पुत्र श्री जय सिंह यादव, उम्र लगभग 37 वर्ष, वीपीओ टूलेरा, तहसील अलवर, जिला अलवर, राजस्थान।

3. दीवान सिंह पुत्र श्री रामघोरशी, उम्र लगभग 38 वर्ष, ग्राम छपरोली, पोस्ट जलालपुर मनिया, जिला धौलपुर, राजस्थान।

4. हसम खान पुत्र श्री नूर जमाल खान, उम्र लगभग 38 वर्ष, मकान नंबर 302, ग्राम धनी लाल खान, पोस्ट देईदास, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

5. रामबीर सिंह पुत्र श्री करण सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, गढ़ी जालिम सिंह, पोस्ट झरोली, तहसील भरतपुर, जिला भरतपुर, राजस्थान।

6. गुलाब सिंह शेखावत पुत्र श्री आशु सिंह शेखावत, उम्र लगभग 40 वर्ष, प्लॉट नंबर 73, प्रताप नगर, कालवार्ड रोड, गोवदीनपुरा, जयपुर, राजस्थान।

7. प्रशांत कुमार पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा, उम्र लगभग 39 वर्ष, ग्राम बड़रोड, तहसील बहरोड़, जिला अलवर, राजस्थान।

8. रईश चंद्र ढाका पुत्र श्री सूरजभान, उम्र लगभग 37 वर्ष, ग्राम नोहर पोस्ट नोहर, वार्ड नंबर 30 इंदिरा कॉलोनी, नोहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

9. सुखदीप सिंह पुत्र श्री मंदर सिंह, उम्र लगभग 43 वर्ष, चक 1 पी.एस.डी.(बी), वीपीओ 5 पी.एस.डी.(ए) तहसील राल्वा मंडी, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान।

10. जयपाल सिंह पुत्र श्री रतन सिंह , उम्र करीब 42 वर्ष, वार्ड नं. 27, गोगामेरी के पीछे, सुभाषपुरा, बीकानेर, जिला बीकानेर, राजस्थान।

11. संग्राम राम पुत्र श्री जोरा राम, उम्र करीब 41 वर्ष, गांव सेवकी कल्ला, तहसील और जिला जोधपुर, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।

4. राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुर, जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

भंवर सिंह भाटी पुत्र खेत सिंह, उम्र लगभग 43 वर्ष, वीपीओ शैतान सिंह नगर, तहसील लाहावत, जिला जोधपुर, राजस्थान।

2. प्रेम सिंह पुत्र भींवा सिंह, उम्र लगभग 42 वर्ष, निम्बो का गाँव, नवलसर जिया बेरी, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर, राजस्थान।

3. विक्रम सिंह पुत्र मालू सिंह, उम्र लगभग 42 वर्ष, प्लॉट नंबर 10, शर्मा आइसक्रीम फैक्ट्री के सामने, सूर सागर पुलिस स्टेशन रोड, जोधपुर, जिला जोधपुर, राजस्थान।

4. प्रहलाद सिंह राठौड़ पुत्र अनोप सिंह राठौड़, उम्र लगभग 38 वर्ष, वीपीओ छपारा, तहसील लाडनूं, जिला नागौर, राजस्थान

5. शीशपाल सिंह पुत्र सुंडा राम हरितवाल, उम्र लगभग 38 वर्ष, वीपीओ छपारा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान।

6. सुभाष सिंह पुत्र भागीरथ सिंह, उम्र लगभग 39 वर्ष, ग्राम थिथावता पीरान, तहसील फतहपुरा, जिला सीकर, राजस्थान।

7. भूपेन्द्र सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, बखतपुरा, पोस्ट फ़तेहपुर, तहसील मासलपुर, जिला करौली, राजस्थान।

8. अमित कुमार जाखड़ पुत्र मदन लाल जाखड़, उम्र लगभग 39 वर्ष, वीपीओ महनसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू, राजस्थान।

9. चरण सिंह पुत्र राम लाल, उम्र लगभग 42 वर्ष, ग्राम मंदासी, वाया मुकुंदगढ़, तहसील नवागढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान।

10. अल्ताफ खान पुत्र रसूल खान, उम्र लगभग 42 वर्ष, वीपीओ कुचेरा, तहसील मुंडवा, जिला नागौर, राजस्थान

11. अशोक कुमार सैनी पुत्र बुध राम सैनी, उम्र लगभग 40 वर्ष, गांव व पोस्ट बजावा (रावतका), तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू, राजस्थान

12. कुलदीप सिंह पुत्र रूलदू सिंह, उम्र लगभग 42 वर्ष, वार्ड नंबर 2 वीपीओ मक्कासर गली नंबर 3, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

13. सुभाष चन्द्र पिलानिया पुत्र हरि सिंह पिलानिया, उम्र लगभग 41 वर्ष, वीपीओ बेरी, तहसील सीकर, जिला सीकर, राजस्थान।

14. नरेश चंद शर्मा पुत्र राम दयाल शर्मा, उम्र लगभग 41 वर्ष, ग्राम नगला छीतर, पोस्ट उच्चैन, तहसील रूपबास, जिला भरतपुर, राजस्थान।

15. बलजिंदर सिंह पुत्र सुखपाल सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, वीपीओ नाथावन, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

16. अजय पाल सिंह पुत्र जय राम सिंह, उम्र लगभग 42 वर्ष, दुर्गा कॉलोनी, ओंडेला रोड नियर एलआईसी ऑफिस धौलपुर, राजस्थान

17. राजवीर पुत्र राम सहाय, उम्र लगभग 39 वर्ष, ग्राम कुसेड़ा गुजरान, तहसील मनिया, जिला धौलपुर, राजस्थान

18. रामकेश पुत्र जगन्नाथ सिंह, उम्र लगभग 39 वर्ष ग्राम शेखपुर, (गुजरान) पोस्ट लालपुर, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर, राजस्थान।

19. शिशुपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण राम, उम्र लगभग 49 वर्ष, ग्राम बसेड़ा की ढाणी, पोस्ट लालपुर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू, राजस्थान।

20. बनवारी लाल पुत्र बेगा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, ग्राम अमरपुरा, पोस्ट अमरपुरा, तहसील दांता रामगढ, जिला सीकर, राजस्थान।

21. सुरेश चंद पुत्र सूबेदार सिंह, उम्र लगभग 42 वर्ष, ग्राम गढ़ी जवाहर, पोस्ट विंतीपुरा, तहसील धौलपुर, जिला धौलपुर, राजस्थान।

22. जय प्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद, उम्र लगभग 39 वर्ष, वीपीओ बुगाला, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान।

23. मुखा राम धायल पुत्र अर्जुन राम, उम्र लगभग 43 वर्ष, ग्राम चरका बास, (धायलों की ढाणी), पोस्ट परसरामपुरा, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान।

24. सुमेर सिंह अचरा पुत्र बनवारी लाल, उम्र लगभग 37 वर्ष, ग्राम गोविंदपुरा, पोस्ट फूसकानी, तहसील मंडावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान।

25. गणेश राम पटेल पुत्र बिंजा आराम पटेल, उम्र लगभग 49 वर्ष, ग्राम दिवांडी, पोस्ट दिवांडी, तहसील रोहट, जिला पाली, राजस्थान।

26. मदन सिंह पुत्र सुरजन सिंह, उम्र लगभग 39 वर्ष, ग्राम गिनरी पट्टा राजपुरा, पोस्ट इन्द्र पुरा, तहसील चूरू, जिला चूरू, राजस्थान।

27. बुद्धा राम पुत्र धूरा राम बेनीवाल, उम्र लगभग 44 वर्ष, ग्राम मदनियों की ढाणी, पोस्ट पांचला सिद्धा, तहसील खींवसर, जिला नागौर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।

4. राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, अपने अध्यक्ष, राजस्थान के परिसर के माध्यम से कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुर, जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

1. परेमा राम पुत्र जुमेर राम, आयु लगभग 37 वर्ष, वीपीओ जाखेरा, तहसील डेगाना, जिला नागौर, राजस्थान।

2. अम्मी लाल पुत्र फूला राम, आयु लगभग 40 वर्ष, गांव सिंगनोर, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू, राजस्थान।

3. सुवा लाल जाट पुत्र सुंडा राम जाट, आयु लगभग 50 वर्ष, वार्ड नं. 9 वीपीओ छापोली, तहसील - जिला झुंझुनू, राजस्थान।

4. सतनाम सिंह हियर पुत्र हरजिंदर सिंह हियर, आयु लगभग 35 वर्ष, घुधुवाला (37 ग्राम), तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।

4. राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुर, जयपुर, राजस्थान का परिसर।

----प्रतिवादी

1. प्रकाश चंद्र सैन पुत्र श्री शंकरलाल, उम्र लगभग 49 वर्ष, 75, वीर तेजा कॉलोनी, इंडेन गैस गोदाम के पास, भदवासिया, जोधपुर, जिला जोधपुर, राजस्थान।

2. बिष्णुन सिंह पुत्र श्री डालू सिंह, उम्र लगभग 42 वर्ष, वीपीओ नगला दूल्हेखां, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर, राजस्थान।

3. नरेश कुमार पुत्र श्री महेंद्र सिंह, उम्र लगभग 39 वर्ष, ग्राम जाटूवास, पोस्ट किलरी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू, राजस्थान।

4. सरवन सिंह राठौड़ पुत्र श्री सवाई सिंह राठौड़, उम्र लगभग 40 वर्ष, गुरुद्वारा गली, राजपूत भवन के पास, तिलक नगर, बीकानेर, जिला बीकानेर, राजस्थान।

5. बजरंग सिंह राठौर पुत्र श्री पाबू सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, गांव लोना, पोस्ट बड़ाबर, तहसील सुजानगढ़, जिला चुरू, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग के माध्यम से कार्मिक, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

2. राजस्थान राज्य, अपने सचिव के माध्यम से, वन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर।

4. राजस्थान सेवा चयन बोर्ड , इसके अध्यक्ष के माध्यम से, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुर, जयपुर, राजस्थान का परिसर।

----प्रतिवादी

1. मुकेश गुर्जर पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम सबलपुरा, पोस्ट जीरोता खुर्द, तहसील लवन, जिला दौसा, राजस्थान।

2. कृपा शंकर गुर्जर पुत्र श्री काजोड़ मल गुर्जर, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या बी 13 ए, वार्ड संख्या 2 नंद गांव कॉलोनी, फूधा कटला रोड बांदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।

4. राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुर, जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5986/2023

1. भागीरथ सिंह राठौर पुत्र श्री मदन सिंह राठौर, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 590/बी न्यू बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर, जिला जोधपुर, राजस्थान।

2. शिव सिंह पुत्र श्री अमरत सिंह, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी गांव बाबू सिंह का पुरा, पोस्ट विरोंधा, तहसील मनिया, जिला धौलपुर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।

4. राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुर, जयपुर, राजस्थान का परिसर।

---प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6006/2023

1. गीगा राम पुत्र श्री गणपत राम, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी वीपीओ- लाछड़ी, वाया- डीडवाना, तहसील- लाडनूं, जिला- नागौर, राजस्थान।

2. देवा राम पुत्र श्री अचला राम, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी गांव- ईशरनवरा, पोस्ट- बिरलोका, तहसील- खिन्वसर, जिला- नागौर, राजस्थान।

3. गोदा राम पुत्र श्री प्रताप राम, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी वीपीओ- बनवाल, तहसील- परबतसर, जिला- नागौर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

3. प्राचार्य, मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर।

4. राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुर, जयपुर, राजस्थान।

---प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6066/2023

1. हरि राम पुत्र जगदीश राम, उम्र लगभग 46 वर्ष, ग्राम पदान, सथेरन, तहसील नागौर, जिला नागौर, राजस्थान।

2. अशोक कुमार नैन पुत्र गणपत राम नैन, उम्र लगभग 39 वर्ष, ग्राम साईसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, राजस्थान।

3. राजेश कुमार खेदड़ पुत्र राम कुमार सिंह खेदड़, उम्र लगभग 49 वर्ष, वीपीओ जाखल, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान।

4. पूनम चंद पुत्र रेरा राम, उम्र लगभग 44 वर्ष, ग्राम पाबूथल, पोस्ट सथेरन, तहसील नागौर, जिला नागौर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।

4. राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, अपने अध्यक्ष, राजस्थान के परिसर के माध्यम से कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुर, जयपुर, राजस्थान।

---प्रतिवादी

डी.बी.सिविल रिट याचिका क्रमांक 6406/2023

1. अरुण सिंह राठौड़ पुत्र महेंद्र सिंह राठौड़, उम्र लगभग 37 वर्ष, ग्राम खोजास, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान।

2. शिवराम गुर्जर पुत्र राम किशोर गुर्जर, उम्र लगभग 41 वर्ष, ग्राम भगलाई, पोस्ट रलावता, तहसील दौसा, जिला दौसा, राजस्थान।

3. मान सिंह राजपूत पुत्र भीम सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, ग्राम मलिकपुर, पोस्ट बरेहमोरी, तहसील धौलपुर, जिला धौलपुर, राजस्थान।

4. राजेंद्र पुत्र रामनिवास, उम्र लगभग 37 वर्ष, प्लॉट नंबर 30 ख नंबर 243, गणपति नगर, झोपड़ी रोड, खोखरिया, पोस्ट बनाड़, जोधपुर, जिला जोधपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय,

राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।

4. राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुर, जयपुर, राजस्थान का परिसर।

---प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6965/2023

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह, आयु लगभग 41 वर्ष, प्लॉट संख्या 7, अमित कॉलोनी, जयपुर रोड, बीकानेर, जिला बीकानेर, राजस्थान।

2. परमा राम जाट पुत्र श्री जेठा राम जाट, आयु लगभग 38 वर्ष, गांव नरमा, पोस्ट भाकरी, तहसील परबतसर, जिला नागौर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।

4. राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, राजस्थान कृषि प्रबंधन

संस्थान, दुर्गापुर, जयपुर, राजस्थान का परिसर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7699/2023

1. राम किशोर पुत्र श्री भेरा राम, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी वीपीओ- कुरी, तहसील- भोपालगढ़, जिला जोधपुर, राजस्थान।

2. राम चंद्र रियाद पुत्र श्री रतन राम, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी वीपीओ- मायापुर, तहसील- परबतसर, जिला नागौर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य-राज्य, अपने प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।

4. राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुर, जयपुर, राजस्थान का परिसर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10450/2023

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नोरंग लाल, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी ग्राम बसरी, पोस्ट ढाकमंडी, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।

4. राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुर, जयपुर, राजस्थान का परिसर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री एम.एल. देवड़ा सुश्री डिंपल देवड़ा के साथ

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री महावीर बिश्नोई, एएजी।
श्री मनीष पटेल, एएजी।
श्री बी.एस. संधू, श्री चिराग कलानी के साथ।
श्री राजीव पुरोहित के लिए श्री शशांक जोशी।
श्री विनित सनाढ्य के लिए श्री प्रियांशु गोपा।
श्री त्रिलोक सिंह.
श्री मानवेन्द्र सिंह भाटी।
श्री दिनेश कुमार जोशी.

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति पुष्पेन्द्र सिंह भाटी माननीय श्रीमान। जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित निर्णय रिपोर्ट 09/04/2024 को सुरक्षित 24/04/2024 को सुनाया गया प्रति डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी,

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति पुष्पेन्द्र सिंह भाटी

माननीय श्रीमान। जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित

निर्णय

रिपोर्ट योग्य

09/04/2024 को सुरक्षित

24/04/2024 को सुनाया गया

प्रति डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी,

1. चूंकि सभी तात्कालिक याचिकाओं में एक समान विवाद शामिल है, यद्यपि प्रासंगिक तथ्यों में मामूली भिन्नता है, इसलिए, वर्तमान समरूप निर्णय के प्रयोजनों के लिए, तथ्यों और प्रार्थना खंडों को ऊपर क्रमांकित डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3757/2023 से लिया जा रहा है, जबकि इसे एक प्रमुख मामले के रूप में माना जा रहा है; पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ और वर्तमान निर्णय में न्यायालय की टिप्पणियाँ भी, विशेष रूप से, प्रमुख मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर आधारित होंगी।

2. प्रार्थना खंड इस प्रकार है:-

> "अतः विनम्रतापूर्वक एवं सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ताओं की इस रिट याचिका को स्वीकार किया जाए:-
>
> ए. किसी उचित रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, दिनांक 11.11.2020 के विज्ञापन के पैरा 7 (x) तथा राजस्थान वन अधीनस्थ नियम 2015 के नियम 19(2) (बी) एवं (सी) में दिनांक 11.11.2020 के विज्ञापन (अनुलग्नक-2) तथा शुद्धिपत्र विज्ञापन 11.03.2022 (अनुलग्नक-3) के अनुसरण में आयु/श्रेणी पर ध्यान दिए बिना भूतपूर्व सैनिक श्रेणी सहित

पुरुषों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण के मानक के बारे में उल्लेख किया गया है, कृपया उसे निरस्त किया जाए तथा उसे अपास्त किया जाए।

बी. किसी उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, दिनांक 11.11.2020 के विज्ञापन के पैरा 7 ([के) ओ (एक्स) और नियम 19(2)(बी) और (सी) राजस्थान वन अधीनस्थ नियम 2015 के संदर्भ में वन रक्षक के पद पर याचिकाकर्ताओं के चयन से इनकार करने वाला कोई भी मौखिक/लिखित आदेश, जिसमें दिनांक 11.11.2020 के विज्ञापन (अनुलग्नक-2) और दिनांक 11.03.2022 के शुद्धिपत्र विज्ञापन (अनुलग्नक 3) के अनुसरण में आयु/श्रेणी का ध्यान किए बिना भूतपूर्व सैनिक श्रेणी सहित पुरुषों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानक के बारे में कहा गया है, कृपया रद्द किया जाए और अलग रखा जाए।

सी. उचित रिट, आदेश या निर्देश द्वारा प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाए कि वे विज्ञापन दिनांक 11.11.2020 (अनुलग्नक-2) और शुद्धिपत्र विज्ञापन 11.03.2022 (अनुलग्नक-3) के अनुसरण में पूर्व सैनिकों को छूट प्रदान करके वन रक्षक के पद के लिए चयन की आगे की प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं को अनुमति दें।

डी. एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, दिनांक 11.11.2020 के विज्ञापन के पैरा 7 ([के) ओ (एक्स) और नियम 19 (2) (बी) और (सी) राजस्थान वन अधीनस्थ नियम 2015 में पूर्व सैनिकों सहित पुरुषों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण के मानक के बारे में कहा गया है, जिसे पूर्व सैनिकों के लिए लागू किया गया है, कृपया विज्ञापन दिनांक 11.11.2020 (अनुलग्नक -2) और शुद्धिपत्र विज्ञापन 11.03.2022 (अनुलग्नक -3) के अनुसरण में पूर्व सैनिकों को प्रदान किए गए आरक्षण के संबंध में विधायी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को पूरा करने के लिए छूट दी जाए।

ई. उचित रिट आदेश या निर्देश द्वारा, प्रतिवादियों को दिनांक 11.11.2020 के विज्ञापन के पैरा 7 ([के) ओ (एक्स) और नियम 19 (2) (बी) और (सी) राजस्थान वन अधीनस्थ नियम 2015 में छूट देकर याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जा

सकता है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों सहित पुरुषों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में बताया गया है, जो दिनांक 11.11.2020 के विज्ञापन (अनुलग्नक-2) और शुद्धिपत्र विज्ञापन 11.03.2022 (अनुलग्नक-3) के अनुसरण में सभी परिणामी लाभों के साथ वन रक्षक के पद के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू किया गया है।

एफ. कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, कृपया याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पारित किया जा सकता है।

जी. याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को लागत के साथ अनुमति दी जा सकती है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादियों ने दिनांक 11.11.2020 को विज्ञापन संख्या 04/2020 जारी किया, जिसके तहत वनपाल और वन रक्षक की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे; उसी के अनुसरण में, सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त होने वाले याचिकाकर्ता उक्त पद के लिए भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी के तहत पात्र थे, इसलिए उन्होंने संबंधित पद के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल किया। इसके बाद, प्रतिवादियों ने दिनांक 11.03.2022 को एक विस्तृत शुद्धिपत्र विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसमें पदों की कुल संख्या में वृद्धि की गई।

3.1. इसके बाद, वन रक्षक (प्रश्नाधीन पद) के लिए परीक्षा आयोजित की गई और लिखित परीक्षा का परिणाम 26.01.2023 को घोषित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ताओं के नाम शामिल किए गए, जिससे वे शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए पात्र हो गए, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों को पीईटी के संबंध में नियमों/शर्तों में ढील देने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, हालांकि इसका अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। प्रतिवादियों की ओर से निष्क्रियता से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त उद्धृत राहतों का दावा करते हुए वर्तमान रिट याचिकाएँ दायर की हैं।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति के अनुसार, यह राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 (जिसे आगे 'नियम 1988' कहा जाएगा) और राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) (संशोधन) नियम, 2018 और उसके बाद के संशोधन 2020 द्वारा शासित है, जिसके तहत भूतपूर्व सैनिक वर्ग को 12.5% आरक्षण दिया गया था,

हालांकि, प्रतिवादी विभाग ने कानून के कानूनी इरादे के पूर्ण उल्लंघन में शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट प्रदान नहीं की।

4.1. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान अधिसूचना दिनांक 17.04.2018 द्वारा संशोधन द्वारा 1988 के नियमों में सम्मिलित नियम 18 ए की ओर आकर्षित किया है, और उक्त नियम 18 ए का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

> "18 ए. रियायतें.- भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए पात्र बनाने के लिए निम्नलिखित रियायतें दी जाएंगी:-
>
> (i) एवं (ii) . . . . . .
>
> (iii) किसी भी पद पर चयन के लिए जहां कहीं भी शारीरिक योग्यता या शारीरिक परीक्षण मापदंड निर्धारित किए गए हैं, ऐसे मापदंडों में राज्य सरकार द्वारा उचित रूप से छूट दी जाएगी।"

4.1.1. विद्वान अधिवक्ता ने उपर्युक्त नियम 18 ए में उल्लिखित शब्द "उचित रूप से" पर अधिक जोर देते हुए कहा कि प्रतिवादी, संबंधित भर्ती प्रक्रिया में भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में उचित छूट देने के लिए बाध्य हैं।

4.2. यह भी प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 11.11.2020 के विज्ञापन के अनुसार, शारीरिक दक्षता का मानक बारा जिले के भूतपूर्व सैनिक/शहरिया और अनुसूचित क्षेत्रों के एसटी और एससी/एसटी वर्ग सहित सभी उम्मीदवारों के लिए होना था, इस प्रकार भूतपूर्व सैनिकों की आयु पर उचित विचार किए बिना भूतपूर्व सैनिकों और अन्य श्रेणी के लिए भी सामान्य उम्मीदवारों के बराबर मानदंड तय करने का प्रतिवादियों का कार्य कानून की दृष्टि से अनुचित है। दिनांक 11.11.2020 के उक्त विज्ञापन का प्रासंगिक भाग नीचे प्रस्तुत है:

> "7. **<u>पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता :</u>**–
>
> .....
>
> **<u>शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता परीक्षण :</u>**–
>
> .....

(ग) वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के किसी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता के निम्नलिखित मापमान भी प्राप्त करने होंगे । अभ्यर्थी अपने स्वयं के जोखिम पर शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपस्थित होंगे ।

पुरूषों के लिए

मद	**मापमान**
1. सिट–अपस	-
2. किक्रेट बॉल फेंक (थ्रो)	55 मीटर

महिलाओं के लिए

मद	**मापमान**
1. खड़ी लम्बी कूद 2. (स्टैण्डिंग ब्राड जम्प्स)	1.35 मीटर
3. गोला फेंक 4. (शॉट पुट)(4 कि.ग्रा.)	4.5 मीटर

शारीरिक दक्षता के ये मापमान भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों/बारां जिले में निवास कर रहे सहरिया अभ्यथियों और जनजाति उप आयोजना क्षेत्र के अनु.जा./अनु.जन. जा. अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए समस्त प्रवर्गो के अभ्यर्थियों पर लागू होंगे।

सिट– अपस के लिए अभ्यर्थी अपनी पीठ के बल लेटेगा, टखनों को थामने के लिए सहारे के साथ उसकी टांगे पूर्णरूप से तनी हो और अपने उपरी शरीर को उठायेगा। उठाते समय अपने उपरी शरीर को 90 डिक्री तक उठायेगा (शरीर को जमीन के साथ लम्बवत करते हुए) उसकी टांगे उठनी नहीं चाहिए। खड़ी लम्बी कूद (स्टैण्डिंग व्राड जम्पस) के लिए अभ्यर्थी स्थिर दशा (बिना दौड़ लगाये) से कूदेगा और कूदने व टेक लगाते समय भी दोनों टांगों को साथ–साथ रखेगा।"

4.3. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान संबंधित विज्ञापन के पैरा 10 की ओर भी आकर्षित किया, जो इस प्रकार है:

"10. भूतपूर्व सैनिकों हेतुः–

(क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिक :–

(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।

(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिए अर्हक बना दे।

भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण **राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है।** भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज रूप से है अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदो को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क–2/84 पार्ट–।। दिनांक 17.04.2018 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगे। इस अधिसूचना के अनुसार कोई भूतपूर्व सैनिक सेवानिवृत हो गया है या आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निराक्षेप प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) के आधार पर अपने पेंशन अर्जित करने के पश्चात पद के लिये आवेदन करने का पात्र होगा, किन्तु उसे समूचित चयन अभिकरण को सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगाः–

2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।

3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

स्पष्टीकरण :– कार्मिक विभाग के परिपत्र दिना ंक 21.05.2019 के अनूसार जब किसी सैनिक द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.04.2018 के तहत किसी पद हेतु आवेदन किया जाता है तो ऐसे भूतपूर्व सैनिक के संबध में यदि उसका सेवा निवृत्ति आदेश जारी हो चुका है और उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। **जिसमें सेवानिवृत्ति की तिथि (चाहे भविष्यवर्ती ही हो) का स्पष्ट उल्लेख हो, तो लिखित परीक्षा/मुख्य परीक्षा/ साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन जैसी भी स्थिति हो की तिथि तक सेवानिवृत्ति आदेश प्रस्तुत कर दिये जाने पर उसे सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र माना जावेगा तथा इस आधार पर आवेदक को**

भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लाभ दैय होंगे। इस आदेश के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर उनके सेवामुक्ति की तिथि तक कार्यग्रहण अवधि में शिथिलन प्रदान कर सकता है। यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति का नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तिया ं की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जावेगी।

4.4. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी के लिए पुलिस विभाग की शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट पहले भी दी जा चुकी है और इस प्रकार संबंधित पद के लिए ऐसा न करना भेदभावपूर्ण प्रकृति का है।

4.5. ऐसे प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:-

(क) उड़ीसा राज्य बनाम मोहम्मद यूनुस एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 5099/1993, दिनांक 17.09.1993 को निर्णीत)।

(बी) अवनी प्रकाश बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) और अन्य। (सिविल अपील संख्या 7000/2021, 23.11.2021 को तय);

(सी) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी बनाम वैष्णवी विजय भोपाले और अन्य। (अपील के लिए विशेष अनुमति (सी) संख्या 17027/2021, 12.11.2021 को तय);

(डी) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम करुणेश कुमार और अन्य। (सिविल अपील संख्या 8822-8823/2022, 12.12.22 को तय);

(ई) राजस्थान राज्य बनाम गोपी किशन सेन एआईआर 1992 एससी 1754;

5. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए प्रस्तुतीकरण का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि दिनांक 11.11.2020 के विवादित विज्ञापन के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके पैराग्राफ 7 में शारीरिक दक्षता और शारीरिक माप के लिए प्रावधान किया गया है, हालांकि, इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट का कोई प्रावधान नहीं है और याचिकाकर्ताओं ने इसके बारे में पूरी जानकारी होने के बावजूद उक्त विज्ञापन के अनुसार प्रश्नगत पद के लिए आवेदन किया।

5.1. यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता पहले ही लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित करने से पहले ही वर्तमान रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, इस प्रकार एक बार जब याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन में निर्धारित शर्तों को स्वीकार कर लिया, तो वे बाद में चयन प्रक्रिया के किसी विशेष भाग/शर्तों को चुनौती नहीं

दे सकते।

5.2. यह भी प्रस्तुत किया गया कि 1988 के नियमों के नियम 18-ए में व्यक्तिगत पेपर या समग्र रूप से परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों में 5% की सीमा तक छूट देने का प्रावधान है, और उक्त छूट पहले ही लिखित योग्यता परीक्षा में दी जा चुकी है और याचिकाकर्ताओं द्वारा इसका लाभ उठाया गया है।

5.3. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 (इसके बाद 'नियम 2015' के रूप में संदर्भित) के तहत प्रश्नगत पद के लिए आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल एक योग्यता परीक्षा है और यह राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के तहत योग्यता के निर्धारण के लिए नहीं है; इसके अलावा, 2015 के नियम 19 में शारीरिक दक्षता और शारीरिक फिटनेस परीक्षण का प्रावधान है और विचाराधीन पद के लिए शारीरिक फिटनेस कर्तव्यों के निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस प्रकार छूट का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और यहां तक कि 1988 के नियम 17.04.2018 की अधिसूचना द्वारा सम्मिलित नियम 18ए के अनुसार, छूट दिए जाने वाले अपेक्षित मापदंडों को सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया था।

6. निजी प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7699/2023 में आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत अभियोग आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत किया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है और उम्मीदवारों ने वांछित परिणाम प्राप्त किए हैं, कुल पदों की संख्या यानी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 766 में से लगभग 400 भूतपूर्व सैनिक पहले ही शारीरिक परीक्षा पास कर चुके हैं। विद्वान वकील के अनुसार, 2015 के नियम 19 में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

7. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियम 2015 के नियम 19 की वैधता को इस माननीय न्यायालय की समन्वित पीठ द्वारा खेता राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (डी.बी. सिविल रिट संख्या 4938/2016, एवं अन्य संबंधित मामले, जिनका निर्णय 07.12.2016 को हुआ) के मामले में पहले ही बरकरार रखा जा चुका है।

7.1. इस तरह के प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने अनुपाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 2 एससीसी 173 और भारत संघ एवं अन्य बनाम एन

मुरुगेसन (2022) 2 एससीसी 25 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया।

8. प्रत्युत्तर प्रस्तुतीकरण में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) (संशोधन) नियम 2018 के नियम 18 ए के अनुसार 'उचित रूप से' शब्द के प्रयोग के साथ, यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि राज्य सरकार को शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट देनी चाहिए थी। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि नियम 2015 के नियम 52 में नियमों को शिथिल करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें सरकार का प्रशासनिक विभाग भर्ती प्रक्रिया के लिए आयु या अनुभव की आवश्यकता से संबंधित नियम में छूट दे सकता है, यदि यह आवश्यक हो या किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई पैदा कर रहा हो। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया कि राजस्थान राज्य ने वर्ष 2018 में उक्त नियमों में नियम 18 ए जोड़कर 1988 के नियमों में एक विशिष्ट संशोधन किया, जिससे 1988 के नियम विशेष नियमों के रूप में बन गए, क्योंकि नए जोड़े गए नियम 18 ए में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि किसी भी पद पर चयन के लिए जहां भी शारीरिक योग्यता या शारीरिक परीक्षण के मापदंड निर्धारित किए गए हैं, ऐसे मापदंड राज्य सरकार द्वारा उचित रूप से शिथिल किए जाएंगे; जबकि प्रतिवादियों द्वारा जोर दिए जाने के अनुसार 2015 के नियमों का नियम 19 एक सामान्य प्रावधान है, इसलिए विशेष नियमों अर्थात 1988 के नियमों (संशोधित) को वरीयता दी जानी चाहिए।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा मामले के अभिलेख तथा बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया गया।

10. यह न्यायालय यह मानता है कि याचिकाकर्ता जो भूतपूर्व सैनिक हैं, ने दिनांक 11.11.2020 के विज्ञापन के अनुसरण में वन रक्षक के पद के लिए आवेदन किया था और उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए सफल घोषित किया गया था, उसके बाद, चूंकि याचिकाकर्ताओं को प्रश्नगत छूट नहीं दी गई थी, इसलिए उन्होंने 2015 के नियमों के नियम 19 (2) (बी) (सी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट प्रदान नहीं करने के लिए उपरोक्त विज्ञापनों को चुनौती दी है।

11. यह न्यायालय आगे यह भी देखता है कि दिनांक 24.04.2023 का अंतरिम आदेश संबंधित मामलों में से एक अर्थात डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4784/2023 में पारित किया गया है, जिसमें यद्यपि अंतरिम आदेश पारित किया गया था, यह निर्देश दिया गया था कि गैर-टीएसपी क्षेत्र से संबंधित भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का परिणाम इस

न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना प्रतिवादियों द्वारा घोषित नहीं किया जाएगा, तथापि प्रतिवादियों को प्रश्नगत विज्ञापन के अनुसरण में शारीरिक दक्षता परीक्षण के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी गई थी।

12. यह न्यायालय आगे यह भी देखता है कि प्रश्नगत पद के लिए जारी किया गया विज्ञापन 2015 के नियमों द्वारा शासित है और शारीरिक दक्षता परीक्षण में उपस्थित सभी उम्मीदवारों के लिए 2015 के नियमों के नियम 19 के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण आयोजित किया गया था। उक्त नियम को नीचे दिए अनुसार पुन: प्रस्तुत किया जाता है:

> "19. शारीरिक योग्यता एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण.-
> (1) …….
> शारीरिक दक्षता के ये मानक बारां जिले में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिक/सहरिया अभ्यर्थियों तथा जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों सहित सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों पर लागू होंगे।
> ……"

12.1. यह न्यायालय यह भी मानता है कि उपर्युक्त उद्धृत नियम के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के संबंध में कोई छूट नहीं है और उक्त नियम में कहा गया है कि विचाराधीन परीक्षा भूतपूर्व सैनिकों सहित सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू होगी।

12.2. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि 2015 के नियमों के उपर्युक्त नियम 19 की वैधता/प्राथमिकता को खेता राम (सुप्रा) के मामले में इस माननीय न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा बरकरार रखा गया था, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे प्रस्तुत है:

> "9. 2015 के नियमों का नियम 19, जो शारीरिक फिटनेस और शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए प्रावधान करता है, पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई, छाती की परिधि और अन्य शारीरिक दक्षता परीक्षण के विभिन्न मानकों को निर्धारित करता है और अनुसूचित जाति और असमिया, भूटानी, गढ़वालियों, गोरखाओं, कुमाऊंनी, लद्दाखी, मिजो, नागा, नेपाली, सिक्किमी और अरुणाचल प्रदेश, लाहुल और स्पीति और मेघालय के उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और छाती की परिधि के शिथिल मानकों का भी प्रावधान करता है। जहां तक शारीरिक दक्षता परीक्षण का सवाल है, पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग

मानक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और असमिया, भूटानी, गढ़वालियों, गोरखाओं, कुमाऊंनी, लद्दाखी, मिजो, नागा, नेपाली, सिक्किमी और अरुणाचल प्रदेश, लाहुल और स्पीति और मेघालय के अभ्यर्थियों को ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है, बल्कि एक विशिष्ट प्रावधान शामिल किया गया है कि शारीरिक दक्षता का मानक सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिसमें बारां जिले में रहने वाले भूतपूर्व सैनिक/सहरिया अभ्यर्थी और जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी शामिल हैं। .....

13. मधु के मामले (सुप्रा) में, जहां महिला अभ्यर्थी ने नियम 2015 के नियम 19 (2) (ए) की वैधता पर सवाल उठाया था, जिसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए छाती की परिधि 79 सेमी निर्धारित की गई थी। 5 सेमी. के विस्तार के साथ, इस न्यायालय की एक पीठ ने कहा कि सेवा की आवश्यकता के अनुसार 2015 के नियमों में निर्धारित शारीरिक मानकों पर तब तक सवाल नहीं उठाया जा सकता जब तक कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या भारत के संविधान के किसी अन्य प्रावधान या किसी सक्षम अधिनियम के साथ संघर्ष में न पाया जाए या नियम बनाने वाला प्राधिकारी सक्षम न हो। न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक सेवा की अपनी जरूरतें और अपेक्षाएं होती हैं। तदनुसार, 2015 के नियमों के नियम 19(2)(ए) को चुनौती विफल हो गई।

14. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारा विचार है कि यदि नौकरी की आवश्यकता को देखते हुए, नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए शारीरिक फिटनेस के शिथिल मानकों को निर्धारित नहीं किया है, बल्कि विशेष रूप से यह प्रावधान किया है कि निर्धारित शारीरिक फिटनेस के मानक पूर्व सैन्य कर्मियों सहित सभी श्रेणियों पर लागू होंगे, पूर्वोक्त रूप से शामिल प्रावधान को अवैध, मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो।

12.3. इस प्रकार, खेता राम (सुप्रा) में की गई टिप्पणियों के प्रकाश में, जिसके द्वारा 2015 के नियमों के नियम 19 की वैधता और वैधानिकता को बरकरार रखा गया है, जबकि यह माना गया है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है, तो

उक्त विज्ञापन में निहित पूर्वोक्त उद्धृत शर्त 7(x) को किसी भी तरह से कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन या किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों, विशेष रूप से पूर्व सैनिकों के हितों के लिए हानिकारक नहीं कहा जा सकता है।

13. यह न्यायालय आगे यह भी देखता है कि समग्र परिदृश्य में, यह स्पष्ट है कि दोनों प्रावधानों यानी 2015 के नियमों के नियम 19 और वर्ष 2018 में संशोधन द्वारा सम्मिलित नियम 18 ए में कोई विरोधाभास/विरोधाभास नहीं है, विशेष रूप से, प्रश्नगत भर्ती प्रक्रिया के संबंध में और इस प्रकार, इस पर सामंजस्यपूर्ण ढंग से विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, चूंकि 2015 के नियमों के नियम 19 (विशेष रूप से विचाराधीन पद के लिए अधिनियमित) में विशेष रूप से ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है कि शारीरिक दक्षता के मानक भूतपूर्व सैन्य कर्मियों सहित सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू होंगे, और इस प्रकार, नियम 18 ए के आधार पर दावा की गई छूट, जिसे विशेष प्रावधान बताते हुए और 1988 के नियमों पर वरीयता देते हुए, प्रदान किए जाने योग्य नहीं है।

13.1. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि 1988 के नियमों के पूर्वोक्त नियम 18 ए (वर्ष 2018 में संशोधन के माध्यम से लाया गया) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी पद पर चयन के लिए जहां भी शारीरिक फिटनेस या शारीरिक परीक्षण के मापदंड निर्धारित किए गए हैं, ऐसे मापदंडों को राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के संबंध में उचित रूप से शिथिल किया जाएगा, इस प्रकार, 'उचित रूप से' शब्द पर जोर दिया गया है, और यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों ने प्रश्नगत पद से जुड़े कठिन कार्य को ध्यान में रखा था, और इस प्रकार, प्रश्नगत भर्ती में, शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट प्रदान करना उचित नहीं होगा और न ही यह शामिल कार्य की मांगों के अनुरूप होगा। 14. यह न्यायालय यह भी मानता है कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रदान की गई छूट वर्तमान मामले में लागू नहीं होती, क्योंकि विचाराधीन पद से जुड़ी नौकरी पूरी तरह से अलग है, और इसके अलावा, 2015 के नियमों में ऐसी किसी भी छूट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

15. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि वन रक्षक के पद के लिए शारीरिक फिटनेस एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके लिए चयनित उम्मीदवारों को कठिन परिस्थितियों जैसे कि पहाड़ पर चढ़ना और उबड़-खाबड़ इलाकों से गुजरना पड़ता है, इसलिए यह जॉब प्रोफाइल ऐसी है जिसमें शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता होती है और इसमें कठोर काम शामिल होता है, जिससे यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि विचाराधीन पद के लिए चुने

गए व्यक्ति शारीरिक फिटनेस का एक निश्चित मानक बनाए रखें।

16. इस प्रकार, उपरोक्त टिप्पणियों के प्रकाश में और वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए, यह न्यायालय वर्तमान याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को कोई राहत देने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं मानता है।

17. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिकाएँ खारिज की जाती हैं। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

(योगेंद्र कुमार पुरोहित**),** न्यायाधीश **(**डॉ**.**पुष्पेंद्र सिंह भाटी**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।